न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/256/2013

उनवान

1. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि कालू राम मीणा निवासी छाबडिया हाल निवासी संतोषनगर, जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स/वादीगण

बनाम

1. बहादुर सिंह आत्मज देबीसिंह मीणा निवासी टीकड तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स /प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 120/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.9.2013

अधिवक्तागण :—

1. श्री जे सी दाधीच, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री मोहम्मद हुसैन कुरेशी ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 12.9.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 89 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जहाजपुर पटवार हल्का जहाजपुर तहसील जहाजपुर में खाता संख्या

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

583–968 के आराजी नम्बर 6095, रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 6096 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 6163 रकबा 16 बिस्वा, कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है। इसी तरह खाता संख्या 585–461 के आराजी नम्बर 6094/1 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है। उपरोक्त दोनों खाता संख्या की कृषि आराजियात में वादी का 1/5 हिस्सा व व शेष 4/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है । अपने–अपने हक हिसे अनुसार वादी व प्रतिवादिया काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। वादग्रस्त आराजियात वादी व प्रतिवादिया के संयुक्त खाते में होने से समय–समय पर हकाई–बुवाई, जुताई करते समय सीमा के संबंध में विवाद होते हैं। प्रतिवादिया व वादी एक दूसरे के ऊपर कृषि भूमि कम ज्यादा लेने का आरोप लगाते हैं साथ्ज्ञ ही वादी अपने हक हिस्से की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु भूमि में सुधार करना चाहता है इसलिए वादग्रस्त आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा करवाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अलग–अलग हिस्से अनुसार बंटवाडा कराये कराया जाकर वादी व प्रतिवादिया के अलग–अलह हिस्से राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराई जावे तथा वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादिया के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की जावे कि वादी के हक हिस्से में आई आराजियात में प्रतिवादिया न तो स्वयं न किसी अन्य से बाधा उत्पन्न करावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि ग्राम जहाजपुर पटवार हल्का जहाजपुर स्थित आराजी नम्बर 5095, 6096, 6163 एवं 6094/1 के विभाजन का वाद प्रत्यर्थी सख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु निवेदन किया गया था । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

5. अधिवक्ता अपीलार्थीया का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी गांव टीकड में रहता है एवं राजनैतिक पहॅूच वाला व्यक्ति होकर उसके द्वारा वादग्रस्त आराजियात जहाजपुर नगर के भू माफियॉ नसीबदाद पठान, नजीर मोहम्मद सरवाडी ने भूला देवी मीणा बेवा राजेन्द्र मीणा से प्रत्यर्थी संख्या 1 बहादुर सिंह मीणा के नाम पर बेनामी संव्यवहार से खरीद की है। मौके पर किसी प्रकार का विभाजन नही हो रखा है। कब्जे के अभाव में प्रत्यर्थी संख्या 1 की भूमि किस जगह पर है व किस दिशा में स्थित है स्पष्ट नहीं होता है। जबकि मौके पर अपीलार्थीया ने सम्पूर्ण कृषि आराजियात को समतल करने हेतु जे सी बी मशीन लगाई व बडे बडे खड्डों को भरने हेतु 5 लाख रूपये खर्च किये हैं। अपीलार्थीया ने उक्त आराजियात के चारों ओर थोहर की बाड लगा रखी है। उक्त सम्पूर्ण आराजियात पर अपीलार्थीया का ही कब्जाकाश्त है। इस कारण प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी कब्जे के अभाव मे मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराने का अधिकारी नहीं है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अपीलार्थीया का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं होने से वह उसे शक्ल से भी नहीं जानती है। उसके द्वारा मौखिक तौर पर दिनांक 18.11.2010 को विभाजन के लिए कहने का तथ्य गलत है। प्रत्यर्थी को कभी कारण वाद उत्पन्न नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी में उसका 1/5 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उसी अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत गवाहान ने वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थी का कब्जा होने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीया खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीया का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थी का कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। सम्पूर्ण आराजियात पर अपीलार्थीया का ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दो जमाबंदीयॉ संवत 2064 से 2067 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादग्रस्त आराजी में प्रेम देवी पत्नि कालूराम का 4/5 हक हिस्सा निहित होकर शेष रकबा 1/5 वॉ हिस्सा, मंजूदेवी, आशा, मनोज कुमार पपी, त्रिलोक पिता राजेन्द्र त्रिलोक नाबालिग बबिलायत माता भूला, भूलादेवी बेवा राजेन्द्र दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजियात का 1/5 हिस्सा उपरोक्त खातेदारान से विक्रय से नामान्तरकरण संख्या 3523 दिनांक 1.8.08 से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी नम्बर 6094/1 एवं शेष आराजियात उपरोक्त खातेदारान से विक्रय से नामान्तरकरण संख्या 3523 दिनांक 4.8.08 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम 1/5 हक हिस्से से दर्ज की गई है। प्रत्यर्थी संख्या 1 पूर्व खातेदारान के फुट स्टेप पर विक्रय पत्र के आधार पर अवस्थित हुआ है। प्रत्यर्थी/वादी द्वारा वादग्रस्त आराजियात का 1/5 वॉ हिस्सा क्रय किया गया है। उसी अनुसार उसने 1/5 हिस्से का अपने हक में विभाजन करा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। जहां तक सम्पूर्ण आराजीयात पर अपीलार्थीया का कब्जा होने का कथन है, स्वयं अपीलार्थीया ने अपने बयान पीडब्ल्यु 1 मे कथन किया है कि "मैं तो मेरा हिस्सा बोती हूं दुसरों का नही"। अतः स्पष्ट है कि अपील में प्रस्तुत कथन सही नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन का वाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की है। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किये जाने के समय मिट्स एवं बाउण्डस व कब्जे संबंधी हिस्से अनुसार कब्जे का निस्तारण किया जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

9. अतः अपील अपीलार्थीया सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.9.2013 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 12.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

12/9/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/256/2013

उनवान

1. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि कालू राम मीणा निवासी छाबडिया हाल निवासी संतोषनगर, जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. बहादुर सिंह आत्मज देबीसिंह मीणा निवासी टीकड तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 120/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.9.2013

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/256/2013** मे **उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 12.9.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री जे सी दाधीच वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री मोहम्मद हुसैन कुरैशी की उपस्थिति मे दिनांक 12.9.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीया सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.9.2013 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 12.9.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्क्री जारी की जाती है।

12/9/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

12/9/18

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा